

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :— एफ.4(ई)डीजीएस / अलेसे—गा

दिनांक :— 12.01.2016

आदेश संख्या १७३/२०१५-१६

स्व. श्री अर्जुन सिंह मीणा, हैड कॉन्स्टेबल(1810), राजस्थान पुलिस, का राज्य सेवा काल के दौरान दिनांक 25.04.2009 को निधन हो जाने के कारण उनके आश्रित पुत्र श्री बिरेन्द्र सिंह, जिनकी जन्मतिथि 01.07.1991 (एक जुलाई, उन्नीस सौ इक्यानवे) है, को राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 14 एवं नियम 6(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ लेखाकार) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन—भत्तों पर उपकोष कार्यालय, बहरोड (अलवर) में नियुक्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग की Email — jacct.dta@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से सूचित करें।

श्री बिरेन्द्र सिंह को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन दी जाती है :—

1. अध्यर्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ.14(1)एफडी/रूल्स/2013पीटी दिनांक 08.06.2015 के अनुसारण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
2. अध्यर्थी की जन्मतिथि इनके द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति आवेदन पत्र में अंकित एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण—पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
3. यह नियुक्ति, संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
4. अध्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
5. अध्यर्थी को परिविकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिविकाल की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
6. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग—1 में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदर्भ नहीं होगा।
7. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिविकाल की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
8. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इन्हें विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण/अहंता प्राप्त कर लेने पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिये उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब भी उपयुक्त स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होंगे इनको राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थाई आधार पर नियुक्त कर सकेगी।
9. यदि अध्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग—पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलक्षित एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दो गुना राशि का भुगतान उन्हें एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा। अध्यर्थी विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
10. यदि वे आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
11. कार्मिक (क—2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 के अनुसार इनकी नियुक्ति स्व. श्री अर्जुन सिंह मीणा, हैड कॉन्स्टेबल, (1810) के परिवार के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण पोषण नहीं करने की स्थिति में समाप्त की जा सकती है।

(भास्कर शर्मा)

निदेशक

क्रमांक :— एफ.4(ई)डीजीएस / अलेसे-गा / 12537-12546 दिनांक :— 12.01.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. संयुक्त शासन सचिव (पुलिस), गृह (ग्रुप-1) विभाग ।
4. महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर ।
5. कोषाधिकारी अलवर ।
6. उपकोषाधिकारी, बहरोड (अलवर) को प्रेषित कर लेख है कि वे संबंधित अभ्यर्थी के उपस्थिति प्रस्तुत करने पर बिन्दु संख्या 4 में अंकित संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिति स्वीकार कर कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावें।
7. श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री अर्जुन सिंह मीणा ग्राम-सर-बिन्दपुरा, पोस्ट — जागुवास, तहसील — बहरोड़, जिला — अलवर (राज.) पिन-301701 को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण सूचना शीघ्र प्रेषित करावें।
8. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक ।
9. उपनिदेशक (एसीपी) को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकॉर्ड संधारण हेतु
10. रक्षित / निजी पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक-गा)